

17.05.2023:—यह पत्रावली प्रार्थीया पानादेवी जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत कि भावना से प्रेरित होकर वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र से कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस वादपत्र को प्रत्याहृत करवाया जावे। उक्त वाद पत्र पर अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त वादपत्र स्वीकार कर वाद पत्र प्रार्थीया मौजूदा सूक्त में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

